सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 89/2009 दायर दिनाँक 03.08.2009

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कैलाशकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी सुमेरसिंह, उम्र—29साल, जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी—चारियाँ, तहसील—सुजानगढ, जिला—चूरू, राजस्थान, 2. विलाशकँवर पुत्री मूलसिंह, पत्नी स्वर्गीय भैरूसिंह, उम्र—26साल, जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी—चारियाँ, तहसील—सुजानगढ, जिला—चूरू, राजस्थान, 3. प्रकाशकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी गिरवरसिंह, उम्र—23साल, जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, हाल,निवासी—भीणीयाद, तहसील—जायल, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. महावीरसिंह पुत्र मूलसिंह, 2. विक्रमसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र—13साल, नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुप्यारकँवर, 3. सुप्यारकँवर पत्नी मूलसिंह, 4. हनुमानसिंह पुत्र भँवरसिंह, 5. करणसिंह पुत्र भँवरसिंह, 6. विजयसिंह पुत्र भँवरसिंह, 7. कमलकँवर पत्नी भँवरसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. मीठूकँवर पत्नी बजरंगसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. खींवाराम पुत्र पेमाराम, जाति—जाट, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act,

उपस्थित :—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादीगण।
2. श्री भैरोसिंह शेखावत, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 05 ता 08 व 08 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2009/89
दायर दिनाँक 03.08.2009, निणर्य दिनाँक 16.01.2018
कैलाशकँवर बनाम् महावीरसिंह, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **16.01.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 स्वर्गीय देवीसिंह के वंशज हैं।

वाकै शरहद सूपका में खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 0.08 बीघा, खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 0.19 बीघा, खेत खसरा नम्बर 448 रकबा 06.18 बीघा, कुल रकबा 08.05 बीघा अवस्थित है। शरहद सूपका में ही खेत खसरा नम्बर 445 रकबा 14.19 बीघा, भूमि पैतृक सम्पत्ति की होकर वादीगण का उक्त भूमि में जन्म से हक व अधिकार है। खेताय की भूमि की नकल पेश है।

वादीगण के पिता स्वर्गीय मूलसिंह ने दो शादियाँ की थी। वादीगण व प्रतिवादी महावीरसिंह की माता, भँवरकँवर थी, जिसके स्वर्गवास के बाद वादीगण के पिता मूलसिंह ने दूसरा विवाह सुप्यारकँवर के साथ किया, जिसके विक्रमसिंह पुत्र हुआ। सुप्यारकँवर वादीगण की सौतेली माता है इसलिए वादीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद वादीगण का नाम वादग्रस्त पैतृक सम्पत्ति की भूमि में नाम नहीं डलवाया, जबकि वादीगण का अभी भी पैतृक सम्पत्ति की भूमि में हक व हिस्सा निहित है।

वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 445 रकबा 14.19 बीघा भूमि में से रकबा 10 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्त प्रतिवादी खींवाराम का है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीनी मीठूकँवर ने खसरा नम्बर 445 रकबा 14.19 बीघा में से शेष रकबा 04.19 बीघा में से 1/2 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 448 रकबा 06.18 बीघा में से 1/2 हिस्सा यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा उक्त दोनों खसरान् में से बैचाण कर दिया जहाँ भी प्रतिवादीनी मीठूकँवर का कब्जा है, जिनको वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है, जिनसे वादीगण को कोई सहायता नहीं चाही है।

वादग्रस्त भूमि में अपने जायज हिस्सों में दिनाँक 19.07.2009 को वादीगण सम्भालने गयी, तब प्रतिवादीनी सुप्यारकँवर आमादा–फिसाद हुई व एलानियाँ धमकी दी कि उक्त खेताय का बैचाण कर देगी। खतौनी की नकल लेने पर वादीनी को को पता चला कि उक्त पैतृक सम्पत्ति में वादीनी का नाम नहीं है। इसलिए वादीनी को दावा बाबत् घोषणा खातेदारी पेश करना लाजमी आया है।

वादग्रस्त भूमि सम्पत्ति है। यदि प्रतिवादीनी सुप्यारकँवर जो कि वादीगण की सौतेली माता है, ने बिना किसी कानूनी हक के वादग्रस्त भूमि का बैचाण या गिरवीनामा कर दिया तो वादीगण को अपार हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 07 के नाम केवल वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 76 रकबा 0.08 बीघा एवं खसरा नम्बर 85 रकबा 0.19 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा में ही 1/2 हिस्सा आ रहा है, शेष हिस्सों जिन्होंने अपना हिस्सा बैचाण मीठूकँवर को कर दिया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2009/89
दायर दिनाँक 03.08.2009, निर्णय दिनाँक 16.01.2018
कैलाशकँवर बनाम् महावीरसिंह, वगैरा।

बिनाय दावा दिनाँक 19.07.2009 का वादीगण को प्रतिवादीनी द्वारा उसके जायज हिस्से में बेदखल व बैचाण करने की धमकी देने पर पैदा हुई।

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद सूपका में खेत खसरा नम्बर 78 रकबा 0.08 बीघा व खसरा नम्बर 85 रकबा 0.19 व खसरा नम्बर 448 रकबा 06.18 बीघा में से 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 445 रकबा 14.19 में से रकबा 02.10 बीघा का खातेदार वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के साथ घोषित किया जावे।

दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण का हिस्सा का बैचाण किसी को नहीं करे, न किसी से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 व 09 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 ता 08 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। साक्ष्य वादी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त साक्ष्य वादी पेश न होने से वाद में साक्ष्य वादी का अवसर समाप्त किया गया।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादीगण का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम सूपका सम्वत् 2062–2065 खेवट संख्या 235/272 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम सूपका सम्वत् 2062–2065 खेवट संख्या 236/273 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वकील वादीगण की दलील है कि, वाद वर्णित वंशावली मुताबिक वादीगण की वादग्रस्त भूमि पैतृक है और वादवर्णित भूमि पैतृक होने से उनका भी हक है। अतः उक्त हक अनुसार, वादीगण का वाद वर्णित भूमि में जन्म से हक बनता है इस आधार पर हकानुसार वादीगण के पक्ष में दावा डिक्री जावे। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील वाद में अपना इकबालिया जवाब पेश कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति जाहिर की है।

इस प्रकार दावा अनुसार, प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को भी खातेदार घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादीगण, दावा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2009/89
दायर दिनाँक 03.08.2009, निणर्य दिनाँक 16.01.2018
कैलाशकँवर बनाम् महावीरसिंह, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद सूपका पटवार क्षेत्र सूपका भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नूवाँ तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. खसरा नम्बर 78 रकबा 0.08 बीघा व खसरा नम्बर 85 रकबा 0.19 बीघा व खसरा नम्बर 448 रकबा 06.18 बीघा में से 1/2 हिस्सा के वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, के साथ वादीगण को भी संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 445 रकबा 14.19 बीघा में से रकबा 02.10 बीघा के वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, के साथ वादीगण को भी संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **16.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2009/89** दायर दिनाँक **09.08.2009**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कैलाशकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी सुमेरसिंह, उम्र—29साल, जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी—चारियाँ, तहसील—सुजानगढ, जिला—चूरू, राजस्थान, 2. विलाशकँवर पुत्री मूलसिंह, पत्नी स्वर्गीय भैरूसिंह, उम्र—26साल, जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी—चारियाँ, तहसील—सुजानगढ, जिला—चूरू, राजस्थान, 3. प्रकाशकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी गिरवरसिंह, उम्र—23साल, जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, हाल,निवासी—भीणीयाद, तहसील—जायल, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. महावीरसिंह पुत्र मूलसिंह, 2. विक्रमसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र—13साल, नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुप्यारकँवर, 3. सुप्यारकँवर पत्नी मूलसिंह, 4. हनुमानसिंह पुत्र भँवरसिंह, 5. करणसिंह पुत्र भँवरसिंह, 6. विजयसिंह पुत्र भँवरसिंह, 7. कमलकँवर पत्नी भँवरसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. मीठूकँवर पत्नी बजरंगसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. खींवाराम पुत्र पेमाराम, जाति—जाट, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act,

दिनाँक **16.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादीगण व श्री भैरोसिंह शेखावत, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 05 ता 08 व 08 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद सूपका पटवार क्षेत्र सूपका भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नूवाँ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, के निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

1. खसरा नम्बर 79, रकबा 0.58 बीघा व खसरा नम्बर 85 रकबा 0.19 बीघा व खसरा नम्बर 665 रकबा 16.16 बीघा में से 1/2 हिस्सा के वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09, के साथ वादीगण को भी संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 665 रकबा 16.16 बीघा में से रकबा 02.10 बीघा के वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09, के साथ वादीगण को भी संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो।

मीजान.........-......... मुबलिग.........-......... रुपया.........

...-.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........-......... आज की तारीख को अदा करें। हमारे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.01.2018 को मेरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–89–2009/रीडर/2018/ दिनाँक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act,

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कैलाशकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी सुमेरसिंह, उम्र–29साल, जाति–राजपूत, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–चारियाँ, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू, राजस्थान, 2. विलाशकँवर पुत्री मूलसिंह, पत्नी स्वर्गीय भैरूसिंह, उम्र–26साल, जाति–राजपूत, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–चारियाँ, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू, राजस्थान, 3. प्रकाशकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी गिरवरसिंह, उम्र–23साल, जाति–राजपूत, निवासी–सूपका, हाल,निवासी–भीणीयाद, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. महावीरसिंह पुत्र मूलसिंह, 2. विक्रमसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र–13साल, नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुप्यारकँवर, 3. सुप्यारकँवर पत्नी मूलसिंह, 4. हनुमानसिंह पुत्र भँवरसिंह, 5. करणसिंह पुत्र भँवरसिंह, 6. विजयसिंह पुत्र भँवरसिंह, 7. कमलकँवर पत्नी भँवरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. मीठूकँवर पत्नी बजरंगसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. खींवाराम पुत्र पेमाराम, जाति–जाट, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner